XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता पूर्णियाँ

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–70/2010

श्री संजीव कुमार गुप्ता, पिता– स्व0 दीपक कुमार साह,
सकिन– सहुरिया टोला तिनकोनमा, थाना–जानकीनगर,जिला–पूर्णियाँ.....आवेदक

बनाम

1. **श्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, पिता– स्व0 योगेन्द्र प्रसाद साह**
2. **श्री रमेन्द्र प्रसाद साह, पिता– स्व0 योगेन्द्र प्रसाद साह**
3. **श्री संतोष प्रसाद साह, पिता– स्व0 योगेन्द्र प्रसाद साह**
4. **श्रीमती पार्वती देवी, पति– स्व0 योगेन्द्र प्रसाद साह**

सकिन–सहुरिया टोला, तिनकोनमा, थाना–जानकीनगर, जिला–पूर्णियाँ.....विपक्षीगण

आदेश

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा नामान्तरण अपील वाद संख्या–24/2005–06 में दिनाक 25.05.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह पुनरीक्षण वाद प्रारम्भ किया गयाउ है। आवेदक श्री संजीव कुमार गुप्ता, स्व0 दीपक कुमार साह का दत्तक पुत्र है और आवेदक ने स्व0 दीपक कुमार साह एवं पत्नी स्व0 रीता देवी दोनों माता–पिता को मुखाग्नि देकर श्राद्ध कार्य भी सम्पन्न किया था। खाता स0–231 एवं 938 में अंकित क्रमशः रकवा– 9.75 एकड एवं 9.26 एकड. जमीन की जमाबंदी आवेदक के पिता के नाम दर्ज थी। आवेदक के पिता मंद बुद्धि के थे फलस्वरूप आवेदक की माता स्व0 रीता देवी ने अंचल अधिकारी, बनमनखी को जमाबंदी पंजी में दीपक कुमार साह (पति) के साथ अपना नाम भी अंकित करने की प्रार्थना की और अंचल पदाधिकारी द्वारा जांचोपरान्त जमाबंदी वाद स0–1550/04–05 में आदेश पारित कर पति–पत्नी के नाम संयुक्त जमाबंदी करने का निर्देश दिया गया। कुछ समय के उपरांत आवेदक के पिता स्व0 दीपक कुमार साह के सम्पत्ति को हडपने के उद्देश्य से उनके भाई द्वारा हत्या कर दी गई जिसका जी0 आर0 वाद संख्या–58/2004 किमीनल कोर्ट, पूर्णियाँ में चल रहा है। दीपक साह के पिता ने अंचल पदाधिकारी को नामांतरण पुनरीक्षण हेतु आवेदन दिया और विविध नामान्तरण वाद स0–02/05–06 में अंचल पदाधिकारी ने आवेदक की माता रीता देवी को सूचना दिए बगैर मृतक के पिता स्व0 योगेन्द्र प्रसाद साह के नाम जमाबंदी दर्ज का आदेश दिया गया। अंचल पदाधिकारी के उक्त निर्णय के विरोध में आवेदक के पिता एवं माता को जब जानकारी मिली तो दोनों ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में नामांतरण अपील वाद स0–24/05–06 दायर किया। उक्त अपील वाद के निष्पादन के क्रम में क्रमशः पहले दीपक कुमार साह एवं तदुपरांत पत्नी रीता देवी की मृत्यु हो गयी। आवेदक ने पिता एवं माता के श्राद्ध कर्म के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी के न्यायालय में माता–पिता के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाने हेतु वाद स0–339 एम0/05 दाखिल किया और इस वाद में अनुमंडल पदाधिकारी ने आवेदक को नाम दर्ज करवाने की स्वीकृति दी। लेकिन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने आवेदक के दत्तक पुत्र होने का दावा अस्वीकार करते हुए विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किया। अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन कर न्याय किया जाय।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक का दावा तथ्यहीन एवं गलत है। दीपक कुमार साह जन्म से ही मंदबुद्धि का था और प्रश्नगत जमीन भी दीपक कुमार साह की नही थी। अंचल पदाधिकारी द्वारा दीपक साह एवं रीता देवी के नाम संयुक्त जमाबंदी का आदेश हुआ तो जानकारी मिलने पर विपक्षी के पिता ने नामान्तरण पुनरीक्षण हेतु अंचल पदाधिकारी के न्यायालय में आवेदन दिया। अतः अंचल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय एवं नियम के अनुकूल है। अतः विपक्षी इस न्यायालय से निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ में किये गए उक्त वाद को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को दिनांक 28.03.2011 को सुना गया। आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में लिखित बातों को पुनः दोहराया गया। विपक्षी के द्वारा कहा गया कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है।

सुनवाई के बाद एव अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है एवं इसमे किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

इस निर्णय के साथ ही इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ